कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1151 / 2022 / 10–11 / 2989 भोपाल, दिनांक 26 / 08 / 2022

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः– कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल श्योपुर के कूनो राष्ट्रीय उद्यान अन्तर्गत आने वाले ग्राम बागचा के विस्थापितों हेतु 421.00 हेक्टेयर का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 8-21/2022-FC दिनांक 25.08.2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण में स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	**बिन्दु**	**पालन प्रतिवेदन**
I	The State Govt. need to clarify that the area being vacated is a part of the core/Critical Tiger Reserve or core of the Protected Areas (National Park or Sanctuary) or not.	प्रस्ताव में विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम बागचा कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन में आता है।
II	The basis of calculation of the total area getting vacated has not been provided, which is required to be given.	ग्राम बागचा के विस्थापन से 427 हेक्टेयर वनभूमि रिक्त होगी। इस रिक्त होने वाली वनभूमि में से 217 हेक्टेयर भूमि कृषि के अधीन है। 205 हेक्टेयर भूमि निस्तार के रूप में उपयोग में लाई जाती है। शेष 5 हेक्टेयर भूमि का उपयोग सड़क, भवन आदि कार्यों में किया जा रहा है।
III	The State govt. shall clarify that the proposal fulfills all the conditions laid down in the Ministry's guidelines dated 20.05.2019.	विस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम बागचा कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन में आता है। रिक्त होने वाली भूमि का रकबा विस्थापन हेतु प्रस्तावित रकबे से अधिक है। अतः यह भारत सरकार की पत्र दिनांक 20.05.2019 की गाईड लाईन के अनुसार सभी शर्तों को पूर्ण करता है।

IV	As per the DSS analysis it has been reported that the forest village 'Bagcha' which is proposed to be re-located is falling outside the Kuno-Palpur Wildlife Sanctuary. Moreover, the shape-file or Tiger Reserve and Tiger corridor available on the NTCA Website also revealed that the forest village 'Bagcha' is not located inside the Kuno-Palpur Wildlife Sanctuary. The same be examined and factual position be intimated.	कूनो वन्यप्राणी अभ्यारण्य का गठन वर्ष 1981 में किया गया था तथा इस अभ्यारण्य में 344.686 वर्ग कि0मी0 वनक्षेत्र आता था। अभ्यारण्य के इस अधिसूचित 344.686 वर्ग कि0मी0 में ग्राम बागचा नहीं आता है। मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 14.12.2018 से इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा अभ्यारण्य के क्षेत्र 344.686 वर्ग कि0मी0 को जोड़ते हुये कुल 748.76 वर्ग कि0मी0 को कोर जोन में सम्मिलित किया गया। इस 748.76 वर्ग कि0मी0 के कोर जोन में ग्राम बागचा आता है। वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के कारण यह सम्भव है कि DSS analysis या NTCA Website में यह प्रदर्शित न हो रहा हो। इस राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र की KML फाईल संलग्न प्रस्तुत है।
V	As per site inspection report of DFO the area proposed for diversion has a density varying from 0 to 0.1 however the total number of trees in entire in 421 ha. have been reported to be 49 only, which may be looked into and clarified.	विस्थापन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र खुला क्षेत्र है एवं प्रस्तावित वनक्षेत्र में झाड़ियां है तथा मात्र 49 वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं। अतः वन का घनत्व सही अंकित है। इस तथ्य की पुष्टि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले स्थल निरीक्षण में भी हो सकेगी।
VI	High-resolution satellite imagery dated 01.11.2016 shows that the forest land proposed for diversion at Rambadi Compartment No. 193 part-I (121 Ha) and Dabli west compartment No. 192 part (86 Ha) is having plantation work, which needs clarification.	इस क्षेत्र में पूर्व में कंटूर ट्रेंच खोदकर बीज बोआई के माध्यम से रोपण किया गया था जो असफल रहा। इस तथ्य की पुष्टि भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले स्थल निरीक्षण में भी हो सकेगी।
VII	The District Collector, Sheopur vide their letter dated 07.10.2019 mentioned that a total of 265 no. of families are to be rehabilitated in the instant case. However the Justification submitted by the state Government mentions that the proposed relocation encompasses 191 units. This needs clarification.	दिनांक 14.05.2018 को इस ग्राम का प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुआ था जिसके आधार पर 265 परिवार पहचान किये गये थें। तत्पश्चात कलेक्टर के आदेश दिनांक 23.11.2019 से गठित दलों द्वारा पूर्ण छानबीन करने पर 191 पात्र परिवार पाये गये।
VIII	As per DSS analysis it has been reported that the proposed diversion area is found 419.814 ha instead of 421 ha. which needs clarification.	प्रस्ताव में 421 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन चाहा गया है। KML फाईल तैयार करने में कुछ error आती है। आपके द्वारा इसे 419.814 हेक्टेयर बताया गया है, जिसका अंतर मात्र 0.28 प्रतिशत है जो मान्य योग्य है।

अतः प्रकरण में चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

26/08/2022

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1151 / 2022 / 10–11 / 2990 भोपाल, दिनांक 26 / 08 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. श्री एस0पी0 यादव, अतिरिक्त वन महानिदेशक (FC), इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक, सिंह परियोजना शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी, कूनों वन्यप्राणी वन मण्डल, श्योपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

26/8/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल